न्यायालयः अपर सत्र न्यायाधीश, खुर्जा, बुलन्दशहर।

सत्र वाद संख्या – 76/2025

सरकार बनाम ताहिर आदि।

<u>दिनांक–10.07.2026</u>

पत्रावली पेश हुई। अभियुक्तगण कारसिम, दिलवार व ताहिर उपस्थित आये। अभियुक्तगण सोनू व अकरम का हाजिरी माफी प्रार्थना पत्र स्वीकृत। अभियुक्त नसीम न्यायालय, सी.जे.एम. जाने के कारण जिला कारागार से उपस्थित नहीं आया। राज्य की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) एवं बचाव पक्ष के अधिवक्तागण उपस्थित।

विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) की ओर प्रार्थना पत्र 22A प्रस्तुत कर कथन किया गया कि उक्त सत्र वाद के साथ अन्य सत्र वाद संख्या 73/2025 मु०अ०सं० 15/25 सरकार बनाम ताहिर आदि, सत्र वाद संख्या 74/2025, मु०अ०सं० 16/2025 सरकार बनाम कासिम आदि, थाना–जहाँगीरपुर व सत्र वाद संख्या 70/2025, मु०अ०सं० 147/2025 सरकार बनाम ताहिर आदि, सत्र वाद संख्या 71/2025, मु०अ०सं० 131/2025 सरकार बनाम ताहिर आदि, सत्र वाद संख्या 72/2025 , मु०अ०सं० 143/2025 सरकार बनाम ताहिर आदि, सत्र वाद संख्या 75/2025, मु०अ०सं० 144/2025 सरकार बनाम ताहिर आदि थाना खुर्जा नगर आदि पत्रावलियां माननीय न्यायालय में साथ–साथ विचाराधीन है तथा सभी पत्रावलियों में अभियुक्तगण एक जैसे है और अभियुक्तगणों द्वारा जो घटना कारित की गई है, वह भी एक ही जैसे अपराध से संबंधित है तथा सभी घटनाओं में एक ही तरह के घटनाक्रम को अंजाम दिया गया है। अतः उक्त सत्र वाद संख्या 76/2025, मु०अ०सं० 11/2025 सरकार बनाम ताहिर आदि अन्तर्गत धारा 303(2) , 317(2), 112(2) बी.एन.एस. थाना जहाँगीपुर को मुख्य पत्रावली रखते हुए अन्य उपरोक्त सत्र वादों को साथ समेकित करने की याचना की गई है।

सुना तथा पत्रावलियों का परिशीलन किया।

पत्रावलियों के परिशीलन से विदित है कि सत्र वाद संख्या 76/2025, मु०अ०सं० 11/2025 सरकार बनाम ताहिर आदि धारा 303(2) , 317(2), 112(2) बी.एन.एस. थाना जहाँगीपुर, जिला बुलन्दशहर इस न्यायालय में साक्ष्य के स्तर पर विचाराधीन है। राज्य की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा उक्त पत्रावली से संबंधित इसी न्यायालय में लम्बित अन्य पत्रावलियां सत्र वाद संख्या 73/2025 मु०अ०सं० 15/25 सरकार बनाम ताहिर आदि, सत्र वाद संख्या 74/2025, मु०अ०सं० 16/2025 सरकार बनाम कासिम आदि, थाना–जहाँगीरपुर व सत्र वाद संख्या 70/2025, मु०अ०सं० 147/2025 सरकार बनाम ताहिर आदि, सत्र वाद संख्या 71/2025, मु०अ०सं० 131/2025 सरकार बनाम ताहिर आदि, सत्र वाद संख्या 72/2025, मु०अ०सं० 143/2025 सरकार बनाम ताहिर आदि, सत्र वाद संख्या 75/2025, मु०अ०सं० 144/2025 सरकार बनाम ताहिर आदि थाना खुर्जा नगर जिला बुलन्दशहर के साथ इकजाई किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। उक्त सभी पत्रावलियों के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त सभी वादों में विषय वस्तु एक जैसी हैं तथा सभी पत्रावलियां एक जैसे अपराध से संबंधित है

एवं साक्ष्य के स्तर पर विचाराधीन हैं तथा सत्र वाद सं० 76/2025 की समानांतरता में है। सभी मामलों में एक ही फर्द के आधार पर अभियुक्तगण के नाम प्रकाश में आए हैं व गिरफ्तारी हुई है। ऐसी स्थिति में सभी वादों का एक साथ विचारण किया जाना न्यायोचित होगा। अतः वाद की बहुलता तथा शीघ्र निस्तारण किये जाने के लिए एवं उचित न्याय निर्णयन हेतु उक्त सभी पत्रावलियों को इकजाई किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 22A स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

तदनुसार विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 22A स्वीकार किया जाता है। सत्र वाद संख्या 76/2025, सरकार बनाम ताहिर आदि एवं सत्र वाद संख्या 73/2025 मु०अ०सं० 15/25 सरकार बनाम ताहिर आदि, सत्र वाद संख्या 74/2025, मु०अ०सं० 16/2025 सरकार बनाम कासिम आदि, थाना–जहाँगीरपुर व सत्र वाद संख्या 70/2025, मु०अ०सं० 147/2025 सरकार बनाम ताहिर आदि, सत्र वाद संख्या 71/2025, मु०अ०सं० 131/2025 सरकार बनाम ताहिर आदि, सत्र वाद संख्या 72/2025 , मु०अ०सं० 143/2025 सरकार बनाम ताहिर आदि, सत्र वाद संख्या 75/2025, मु०अ०सं० 144/2025 सरकार बनाम ताहिर आदि थाना खुर्जा नगर आदि को इकजाई किया जाता है। सत्र वाद संख्या 76/2025, सरकार बनाम ताहिर आदि, मु०अ०सं०–11/2025, अन्तर्गत धारा 303(2), 317(2), 112(2) बी.एन.एस. थाना जहाँगीपुर, जिला बुलन्दशहर को अग्रणी वाद बनाया जाता है, समस्त साक्ष्य अग्रणी वाद में अंकित किये जायेंगे। पत्रावलियां सत्र वाद संख्या 73/2025 मु०अ०सं० 15/25 सरकार बनाम ताहिर आदि, सत्र वाद संख्या 74/2025, मु०अ०सं० 16/2025 सरकार बनाम कासिम आदि, थाना–जहाँगीरपुर व सत्र वाद संख्या 70/2025, मु०अ०सं० 147/2025 सरकार बनाम ताहिर आदि, सत्र वाद संख्या 71/2025, मु०अ०सं० 131/2025 सरकार बनाम ताहिर आदि, सत्र वाद संख्या 72/2025 , मु०अ०सं० 143/2025 सरकार बनाम ताहिर आदि, सत्र वाद संख्या 75/2025, मु०अ०सं० 144/2025 सरकार बनाम ताहिर आदि, सत्र वाद संख्या 76/2025, सरकार बनाम ताहिर आदि थाना जहाँगीपुर, जिला बुलन्दशहर अग्रणी वाद से सम्बन्धित वाद रहेंगे। उक्त आदेश की एक–एक प्रति सभी सम्बन्धित सत्रवादों की पत्रावली पर रखी जाये।

साक्षी पी०डब्लू० 1 अनुज कुमार उपस्थित आए। साक्षी पी०डब्लू० 1 की साक्ष्य पूर्ण हुई। पत्रावली दिनांक 23.07.2026 को साक्ष्य हेतु पेश हो।

दिनांकः 10.07.2026

(दिलीप कुमार सचान)
अपर सत्र न्यायाधीश,
खुर्जा (बुलन्दशहर)
J.O. CODE– UP 1674

Digitally signed by DILIP KUMAR SACHAN
Date: 2026.07.10 16:45:19 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court